



भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा

प्रथम तल, प्लॉट नं. 1, अरेरा हिल्स, भोपाल -462011 (म.प्र.) ई-मेल : sbi.04293@sbi.co.in फोन : 0755-2575208, 2575216
प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक मोबाइल: 08989093931, 9425014221

परिशिष्ट - IV क

[नियम 8 (6) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो भारतीय स्टेट बैंक (SAMB) प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवो/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा भारतीय स्टेट बैंक (SAMB) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर ऋणी- मेसर्स उत्कर्ष इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) पता: 410, अपोलो टावर, एमजी रोड, इन्दौर (म.प्र.)

जमानतदार :

- श्री सत्यनारायण राठी पुत्र स्व. श्री रतनलाल राठी, निवास-131, कैलाश पार्क कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)
- श्री सर्वेश्वर राठी पुत्र स्व. श्री रतनलाल राठी, निवास-131, कैलाश पार्क कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)
- श्री द्वारकादास राठी पुत्र स्व. श्री रतनलाल राठी, निवास-131, कैलाश पार्क कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)
- श्री ब्रजमोहन राठी पुत्र स्व. श्री रतनलाल राठी, निवास-24सी, सेवा सरदार नगर, इन्दौर (म.प्र.)
- श्रीमती हेमलता राठी पति श्री ब्रजमोहन राठी, निवास-24सी, सेवा सरदार नगर, इन्दौर (म.प्र.)
- श्रीमती अनीता राठी पति श्री सत्यनारायण राठी, निवास-131, कैलाश पार्क कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)
- श्रीमती जयश्री राठी पति श्री द्वारका दास राठी, निवास-131, कैलाश पार्क कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)
- श्रीमती सूरजकान्ता राठी पति श्री सर्वेश्वर राठी, निवास-131, कैलाश पार्क कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)
- श्रीमती ताराबाई राठी पति स्व. श्री रतनलाल राठी, निवास-131, कैलाश पार्क कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)
- स्व. श्री सौरभ सोमानी पुत्र श्री राधेश्याम सोमानी के विधिक उत्तराधिकारी, निवास-311 सी, सेवा सरदार नगर, इन्दौर (म.प्र.) से भारतीय स्टेट बैंक (SAMB) प्रतिभूत लेनदार की दिनांक 30/11/2012 को रूप 30,46,29,280.20 + दिनांक 01-12-2012 से ब्याज व अन्य खर्च की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 12 अप्रैल 2019 को बेचा जाएगा।

लाट क्र.	संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	(अ) आरक्षित मूल्य (ब) धरोहर राशि (स) बोली वृद्धि राशि
1.	फ्री होल्ड भूमि एवं भवन स्थित खसरा नं. 219/1, क्षेत्रफल-7.826 हेक्टेयर (8.903 हेक्टेयर में से) स्थित ग्राम-भाऊखेड़ी, तहसील-इछावर, जिला-सीहोर एवं उस पर स्थित प्लॉट एवं मशीनरी चर्तूसीमाएं-पूर्व-इछावर रोड, पश्चिम- अन्य भूमि, उत्तर-नाला, दक्षिण-ग्राम-भाऊखेड़ी रोड	(अ) Rs. 9,27,00,000/- (ब) Rs. 92,70,000/- (स) Rs. 5,00,000/-
2.	फ्री होल्ड भूमि क्षेत्रफल-1.077 हेक्टेयर स्थित खसरा नं. 219/1, (8.903 हेक्टेयर में से) एवं खसरा नं. 219/3, क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल-1.259 हेक्टेयर स्थित ग्राम-भाऊखेड़ी, तहसील-इछावर, जिला-सीहोर एवं उस पर स्थित प्लॉट एवं मशीनरी चर्तूसीमाएं-पूर्व-इछावर रोड, पश्चिम- अन्य भूमि, उत्तर-ग्राम-भाऊखेड़ी रोड, दक्षिण-अन्य भूमि	(अ) Rs. 98,00,000/- (ब) Rs. 6,80,000/- (स) Rs. 1,00,000/-

ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : दिनांक : 12.04.2019 समय: सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार पर

निविदा में भाग लेने हेतु आवेदन/केवायसी दस्तावेज / धरोहर राशि के साथ ऑनलाइन बिड आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय (ऑन लाईन एवं हार्ड कॉपी) : 10.04.2019 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व

संपत्ति निरीक्षण : स्थान, दिनांक एवं समय : दिनांक 08.04.2019 को सुबह 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

ई-नीलामी की नियम एवं शर्तें :

- ई-नीलामी ऑनलाइन होगी एवं "जहाँ है जैसा है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर की जायेगी। नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्रा. लि., उदय विहार, फेस-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुडगांव-हरियाणा -122015 e-mail: support@bankeauctions.com हेल्प लाइन नं. 0124-4302000, 4302020, 4302021, 4302022, के वेबपोर्टल <https://www.bankeauctions.com> पर दिनांक 06.03.2019 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार पर संपन्न होगी। ई-नीलामी निविदा प्रपत्र, ऑन लाईन ई-नीलामी बिड फार्म, घोषणा पत्र, नीलामी की सामान्य नियम एवं शर्तें वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com>, <https://tenders.gov.in> पर उपलब्ध है एवं इच्छुक निविदाकर्ता संबंधित दस्तावेज वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।
- प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पूर्व संपत्ति से संबंधित कोई भार, संपत्ति का स्वत्वाधिकार, दावे, देयताएं आदि जो किसी भी प्रकार से संपत्ति को प्रभावित करते हो, के विषय में स्वतंत्र निरीक्षण एवं जानकारी प्राप्त करें। ई-नीलामी प्रकाशन को बैंक की ओर से दी जाने वाली किसी प्रकार की प्रतिबद्धता, प्रतिनिधित्व न समझा जाये। उपरोक्त संपत्ति एवं उन पर सभी प्रकार के वर्तमान एवं भावी प्रभार/ऋण/भार/दावे/स्वत्वाधिकार जो कि बैंक की जानकारी में है या नहीं है के सहित विक्रय की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / सुरक्षित लेनदार किसी भी प्रकार से अन्य पक्षकार के दावे/अधिकार/देयता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
- इच्छुक निविदाकर्ता धरोहर राशि का भुगतान दिनांक 10-04-2019 को सायं 5.00 बजे या उससे पूर्व आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से Account : 30366919796, Name of the A/c : SAM Branch Bhopal (04293) Collection A/C M/S Utkarsh Industries Pvt., IFSC Code : SBIN0004293 में किया जा सकता है अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक, खाता - उत्कर्ष इंडस्ट्रीज प्रा. लि. के नाम से भोपाल पर देय हो द्वारा जमा कर सकते हैं।
- इच्छुक निविदाकर्ता यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु स्वयं को पोर्टल <https://www.bankeauctions.com>, में नाम पंजीकृत करवायें एवं ई-नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मेसर्स सी 1 इंडिया प्रा. लि., हेल्प लाइन नं. 0124-4302000, 4302020, 4302021, 4302022, दानिश खान मोबाइल नं. 9826804343 e-mail: support@bankeauctions.com से सम्पर्क करें
- ऑन लाइन नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीकर्ताओं के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र एवं वैध ई-मेल आईडी होना आवश्यक है। (इच्छुक निविदाकर्ता को आई डी एवं पासवर्ड एवं संबंधित जानकारी सर्विस प्रदाता मेसर्स सी-1 इंडिया प्रा. लि., द्वारा ई-मेल के माध्यम से ही जानकारी दी जायेगी।
- इच्छुक बोलीकर्ताओं को धरोहर राशि जमा करने का प्रमाण पत्र (UTR क्र.) एवं नीलामी में भाग लेने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ जैसे (i) आईडी प्रूफ (केवाईसी) जैसे-वोटर आईडी/ड्रायविंग लाइसेंस/पासपोर्ट इत्यादि (ii) वर्तमान पते का प्रमाण पत्र (iii) बोलीकर्ता का पेन कार्ड की प्रति (iv) बोलीकर्ता का नाम वैध-ईमेल आई डी (v) बोलीकर्ता का सम्पर्क दूरभाष नं. (मोबाइल/लैंड लाइन) प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, प्लॉट नं.1, प्रथम तल, एसबीआई भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल -462011 (म.प्र.) के पास दिनांक 10-04-2019 को सायं 5 बजे तक जमा करना होगा। इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी प्राधिकृत अधिकारी के ईमेल आई डी पर अपलोड करनी होगी।
- भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, भोपाल द्वारा वेबपोर्टल <https://www.bankeauctions.com> पर होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने वाले योग्य निविदाकर्ताओं का चयन किया जावेगा। योग्य निविदाकर्ताओं को मेसर्स सी-1 इंडिया प्रा. लि. द्वारा पेन कार्ड की जाँच के पश्चात आईडी पासवर्ड प्रदान किया जावेगा।
- सफल निविदाकर्ता को ई-नीलामी के पश्चात ई-नीलामी के दौरान उद्भूत अंतिम कीमतों को जमा करने की आवश्यकता होगी, जो पहले से ही किसी अन्य नई शर्त के बिना स्वीकृति के टोकन के रूप में विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित है।
- ई-नीलामी के दौरान, यदि कोई बोली निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो भारतीय स्टेट बैंक अपने विवेक पर ई-नीलामी प्रक्रिया को संशोधित करने या निविदा के पारंपरिक मोड के साथ आगे बढ़ने का निर्णय ले सकता है।
- ई-नीलामी के लिए बैंक / सेवा प्रदाता के पास किसी भी रुकावट के लिए बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा या कारणों की परवाह किए बिना साइट तक पहुंच में देरी हो सकती है।
- बोलीदाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने से पहले सेवा प्रदाता द्वारा अपनाई गई ई-नीलामी की शर्तों और तौर-तरीकों की स्वीकृति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- बोलीकर्ता द्वारा एक बार प्रस्तुत की गई बोली को रद्द / वापस नहीं किया जा सकता है और बोलीदाता को अंतिम बोली मूल्य पर संपत्ति खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा। ई-ऑक्शन के किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने के लिए बोलीदाता की ओर से विफलता, यहाँ उल्लिखित डिफॉल्ट बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई राशि को जब्त करने के परिणामस्वरूप होगी।
- सफल बोली लगाने वाले की घोषणा के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और सभी बोलीकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।
- प्राधिकृत अधिकारी किसी भी कारण से, बिना किसी कारण बताए सफल बोली लगाने वाले की घोषणा करने से पहले, किसी भी समय ई-नीलामी प्रक्रिया / निविदा को रद्द करने के लिए स्वतंत्रता में होगा।
- ईएमडी के बिना प्रस्तुत बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। संपत्ति आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी
- सशर्त बोलियाँ अमान्य मानी जायेगी। कृपया ध्यान दें कि बोली प्रस्तुत करने के बाद, बोली में किसी भी बदलाव के संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- असफल बोलीदाता की धरोहर राशि बैंक के साथ साझा किए गए उनके संबंधित खाता क्रमांक में वापस कर दी जाएगी। बोली लगाने वाले किसी भी ब्याज, लागत, खर्च और किसी अन्य शुल्क (यदि कोई हो) का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।
- प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम निविदा या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्ताव को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त / स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा। ई-नीलामी बिक्री सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि के अधीन है।
- भुगतान में चूक होने पर जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं संपत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी और उस पर चूककर्ता खरीददार का किसी भी प्रकार का संपत्ति / राशि पर दावा मान्य नहीं होगा।
- किसी भी विवाद की स्थिति में बोली (ओं) की वैधता, बोली की राशि, ईएमडी या बोलीदाता की पात्रता के रूप में उत्पन्न होती है, बोली लगाने वाले व्यक्ति का अधिकार, प्राधिकृत अधिकारी की व्याख्या और निर्णय। अंतिम होगा। ऐसी स्थिति में, बैंक अपने विवेकाधिकार के तहत बिक्री को बंद करने और किसी भी तारीख पर एक बार फिर से बिक्री करने के लिए संपत्ति रखने के हकदार होगा और ऐसे समय में बैंक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए, बोलीदाताओं को संबंधित बैंक शाखा के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करना होगा।
- इच्छुक निविदाकर्ताओं को यह जिम्मेदारी है कि वह बिड जमा करने से पूर्व संपत्ति का निरीक्षण करें एवं संतुष्ट होंगे।
- उपरोक्त संपत्ति की ई-नीलामी संपत्ति के सामने वर्णित निर्धारित दिनांक एवं समय पर बोलीदाताओं के मध्य इंटर-से बिडिंग के माध्यम से होगी। बोलीकर्ता अपने ऑफर बिड वृद्धि कॉलम में उल्लेखित राशि के माध्यम से बढ़ावेंगे। यदि अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है तो, ई-नीलामी का समापन समय स्वतः 5 मिनट के बंद जायेगा। ई-नीलामी प्रक्रिया संपन्न होने पर उच्चतम बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) को सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। इसकी सूचना प्राधिकृत अधिकारी / सिक्वोर्ड क्रेडिटर के अनुमोदन के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जायेगी।
- सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि विक्रय मूल्य में समाविष्ट की जायेगी एवं असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बिक्री की पुष्टि होने पर सफल खरीददार विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (जिसमें ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम भी शामिल है) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार करने पर उसी दिन को जमा करनी होगी एवं शेष 75% राशि 15 दिन के अन्दर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तय समय सीमा के अन्दर भुगतान करना होगा अन्यथा खरीददार द्वारा पहले भुगतान/जमा की गई संपूर्ण राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जायेगी। भुगतान में चूक होने पर संपत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी और उस पर चूककर्ता खरीददार का किसी भी प्रकार का संपत्ति / राशि पर दावा मान्य नहीं होगा।
- संभावित योग्य निविदाकर्ता ई-नीलामी हेतु प्रशिक्षण मेसर्स सी 1 इंडिया प्रा. लि., से ई-नीलामी दिनांक से पूर्व प्राप्त कर सकता है। प्राधिकृत अधिकारी / बैंक या मेसर्स सी 1 इंडिया प्रा. लि., (किसी भी बंद / जुटि किसी भी इंटरनेट प्रॉब्लम) के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इन स्थितियों से बचने हेतु एवं आपातकालीन परिस्थितियों हेतु निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे सभी आवश्यक प्रबंध/विकल्प अपने पास रखें जिससे वे ई-नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
- विक्रय की पुष्टि अधिकारिक परिसमापक (Official Liquidator) म.प्र. हाईकोर्ट के सहयोग से की जायेगी। म.प्र. हाईकोर्ट की इन्दौर बैंक की अनुमति के बिना विक्रय को अंतिम रूप नहीं दिया जायेगा।
- सफल क्रेता को आवश्यक स्टाम्प शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, पट्टा अधिकार अंतरण शुल्क, ट्रांसफर शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि जो उनके नाम पर अंतरण कराने पर देय है / संपत्ति पर भुगतान की जाने वाली सार्वधिक देयताएं / असांविधिक देयताएं एवं अन्य प्रभार यदि कोई हो से संबंधित सभी व्ययों का भुगतान करना होगा, जिसकी सभी जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता की होगी।
- संपूर्ण नीलामी राशि प्राप्त होने के पश्चात सफल क्रेता को प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। विक्रय प्रमाण पत्र सफल क्रेता के नाम ही जारी किया जायेगा। ई-नीलामी में भाग लेने वाले / बोली लगाने वाले व्यक्ति के अलावा विक्रय प्रमाण पत्र में नाम बदलने का कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।
- समस्त संपत्ति का विक्रय "जहाँ है जैसा है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर किया जा रहा है तथा इन पर सिक्वोरिटी इंजेक्शन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटीज इंस्ट्रुमेंट एक्ट 2002 एवं सिक्वोरिटी इंस्ट्रुमेंट (इन्फोर्समेंट) नियम 2002 के समस्त प्रावधान लागू होंगे। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा धारा 13(4) के तहत उक्त संपत्तियों का कब्जा है। संपूर्ण नीलामी राशि प्राप्त होने व विक्रय प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही क्रेता को संपत्ति का कब्जा दिया जायेगा एवं बैंक के पास बंधक रखी संपत्ति की टाइटल डीड तथा संलग्न दस्तावेज उपलब्ध करा दिये जायेगे। शेष प्रक्रिया क्रेता को पूर्ण करनी होगी/शेष दस्तावेज (यदि कोई हो) क्रेता को संबन्धित विभाग से प्राप्त करने होंगे। वास्तविक कब्जा प्राप्त करते समय यदि कोई कर्मी/पेशी होती है तो उसे सफल निविदाकर्ता को विधि सम्मत तरीके से उस पर काबिज व्यक्ति से प्राप्त करना होगा। इसमें बैंक सहयोग देगा लेकिन उसके लिए किसी भी तरह से तकनीकी या वित्तीय जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी।
- प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने या बिना कोई कारण बताए नीलामी को आगे बढ़ाने का या स्थगित करने का निर्वद्ध अधिकार होगा।
- संपूर्ण नीलामी राशि प्राप्त होने के पश्चात क्रेता को सिक्वोर्ड क्रेडिटर द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। विक्रय प्रमाण पत्र सफल क्रेता के नाम ही जारी किया जायेगा। ई-नीलामी में भाग लेने वाले / बोली लगाने वाले व्यक्ति के अलावा विक्रय प्रमाण पत्र में नाम बदलने का कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।
- विक्रय वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम एवं शर्तों के अधीन होगा। विशेष सूचना - अंतिम मिनट एवं सेकेण्ड में बिड करने से बचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं सेवा प्रदाता किसी भी बंद/जुटि (इंटरनेट बंद/लाइट जाने आदि) के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इन स्थितियों से बचने हेतु एवं आपातकालीन परिस्थितियों हेतु निविदाकर्ता से निवेदन है कि वे सभी आवश्यक प्रबंध/विकल्प अपने पास रखें, जैसे कि बैंकअप पावर स्पलाई आदि जिससे वे ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। कन्ट्रोल ऑफसर्टिफाइंग अथॉरिटीज (CCA) सिक्वोर्ड साकिट लेयर (SSL) सर्टिफिकेट द्वारा जारी नई इंटर ऑपरेबिलिटी गाइडलाइन के अनुसार कम्प्लाइन्ट होंगे। अतः उपयोगकर्ता निश्चित कर लें कि उनके पास Window XP (SP3) / Windows Vista / Windows उनके कम्प्यूटर/लेपटॉप में इंस्टाल हो। Windows XP service pack-3, में कुछ परेशानी होने पर इन्स्टाल करें। जो कि हमारे ई-ऑक्शन पोर्टल के डाउनलोड विभाग में उपलब्ध है एवं कार्परेट वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> में "knowledge section" के बिल्कुल नीचे हैं।
- दिनांक : 12-03-2019 -भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी